(36)

संख्याः 26 /XVIII(2)/2012

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 5-3- 2012

विषयः–मै0 यूरेका एवेन्टीज लैब्स लि0, गाजियाबाद को ग्राम करोंदी मुस्तकहम, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में दवाई/फुड एवं हर्बल उत्पाद के निर्माण हेतु कुल 0.5339 है0 भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–1442/भूमि व्यवस्था/भूमि क्रय दि0–4.1.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 यूरेका एवेन्टीज लैब्स लि0, गाजियाबाद को ग्राम करोंदी मुस्तकहम, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में दवाई/फुड एवं हर्बल उत्पाद के निर्माण हेतु कुल 0.5339 है0 भूमि_क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (दवाई/फुड एवं हर्बल उत्पाद के निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार

.....2

या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0, 2005 में दिए गए नियमों/मानको के अनुसार सक्षम प्राधिकारी/सीडा से स्वीकृत भवन प्लान के अनुसार निर्माण कार्य किया जाएगा।

8– सम्बन्धित ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– ईकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल दवाई/फुड एवं हर्बल उत्पाद की स्थापना के लिए किया जायेगा।

10– भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–1(10)/2001–एन0ई0आर0 दि0–7.1.2003 के संलग्नक 2 में दिए गए थ्रस्ट उद्योगों में क्रमांक 12 पर उल्लिखित फार्मा प्रोडक्ट (center excise classification no **30.03 to 30.05**) थ्रस्ट सेक्टर क्रियाकलापों में सम्मिलित है जिन पर घोषित औद्योगिक अस्थान/क्षेत्रों की अधिसूचित भूमि से बाहर भी भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त वित्तीय सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। फार्मा प्रोडक्ट को छोड़कर इकाई द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले हर्बल एवं फूड प्रोडक्ट थ्रस्ट क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है। अतः इन उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

12– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

.....3

14– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

15– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्कम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–26/सम्दिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 यूरेका एवेन्टीज लैब्स लि0, 119 बाग भटियारी, किराना मण्डी, जी0टी0 रोड, गाजियाबाद।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।